न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कम्प कोर्ट भोपाल

निगरानी 2556-II-15

विजय सिंह राजपूत आत्मज स्व. भूरे सिंह राजपूत
आयु वयस्क, निवासी हनुमान मंदिर के पास
वार्ड कं.6, बुदनी तह. बुदनी जिल सीहोर म.प्र. ...............पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

सर्वसाधारण .................. उत्तरवादी

## पुनरीक्षण

## आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता-

श्री प्रेम सिंह अभिभावक द्वारा आज दिनांक 30/10/15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत
G.M.
30/10/15

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि पुनरीक्षणकर्ता को स्व. रुकमणीबाई के द्वारा उसके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि जो ग्राम हथलेवा तहसील बुदनी जिला सीहोर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 10/2 एवं 11 जुमला रकबा 15 एकड़ को रजि.वसीयत के माध्यम से दी गई है । वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 09.11.2013 को होने के उपरांत उपरोक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.01.2013 के आधार पर नामांतरण हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपत्तिकर्तागणों के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपत्ति प्रस्तुत की जो निरस्त की गई तथा उपरोक्त प्रकरण में आपत्तिकर्ता पक्षकार नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें आवेदक का साक्षी का प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया गया जिनके द्वारा एक वर्ष की समयावधि में प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया । इसके पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्तागणों को दिनांक 31.01.2014 को सिविल न्यायालय से स्वत्व का निराकरण किये जाने हेतु 90 दिन का समय देकर प्रकरण स्थगित रखा जिसमें दिनांक 01.05.2014 को आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय में स्वत्व संबंधी वाद दायर नहीं किया का उल्लेख होने के उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.

— विजयसिंह राजपूत

R-2556-II/15 प्रतिहोर

| | |
|---|---|
| 21/11/16<br>भोपाल कैंप | दिनांक 18/11/16 को भोपाल कैंप नहीं आने के कारण प्रकरण आज प्रस्तुत।<br>आवेदक अभिभावक एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक एवं आवेदक अभिभावक को समय समय पर आवाज लगवाई गई। उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अभिभावक की अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>सदस्य |

[कृ. प. उ.